

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

रिपोर्ट पटवारी व भूअनि.

महोदय,

निवेदन है कि ^{पुहारिया} जमावती 2074-20 में
के द्वारा 900 में पार्सी का नाम रहीस इत्र नाम के ^{पुहारिया}
जाति सुलतान पूर्व है जबकि आधार कार्ड में रहीस इत्र नाम का
है। अतः आधार सुलतान पार्सी का नाम पुत्र ^{पुहारिया} के द्वारा
900 में रहीस इत्र नाम का 1195 की बजाय ^{पुहारिया} इत्र नाम का 1195
दिनांक उचित होगा।

Mansuri
रिपोर्ट

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

Dinesh
18/09/2025
पटवारी लुहारिया

पार्सी द्वारा राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136
के अंतर्गत पार्सी पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान रिकॉर्ड में ^{पुहारिया} का नाम सुलतान
का नाम रहीस इत्र के नाम पर पार्सी पत्र व पार्सी आधार कार्ड
व पू. म. लुहारिया पर पार्सी का नाम रहीस इत्र का नाम
पुत्र ^{पुहारिया} (लुहारिया) की जमावती 2074-25 के अंतर्गत 900
में ^{पुहारिया} रहीस इत्र नाम का 1195 की बजाय रहीस इत्र नाम का 1195
दिनांक उचित होगा।
अतः जमावती 2074-25 के अंतर्गत 900 में रहीस इत्र के बजाय ^{पुहारिया} इत्र के नाम
के लिए अधिशेष की जावत
आदेश

18/09/25
तहसीलदार, माण्डल
जिला भीलवाड़ा

3085
5.6.09.

तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लुहारिया पखार
हस्का लुहारिया तहसील माण्डल के अंतर्गत 900 में अंकित
रहीस इत्र के बजाय मोहम्मद रहीस राजस्थान रिकॉर्ड में अंकित
किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्त उक्त
राजस्थान रिकॉर्ड में अमल करामद करें।

18/09/25
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल-जिला भीलवाड़ा...